



जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) सिवान

DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING, (DIET) SIWAN

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार



डॉ० शिशुपाल सिंह (बि०शि० सेवा)
प्रभारी प्राचार्य

Web – www.dietsiwan.ac.in

Ph No.- 06154291600
Email- siwandiet@gmail.com

कार्यालय आदेश

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापित संख्या-पी०आर० 27 / 2026 के आलोक में डी०एल०एड० सत्र 2025-27 में द्वितीय स्पॉट नामांकन हेतु काउंसेलिंग के तहत समिति ने नामांकन निम्नलिखित तिथियाँ निर्धारित की है। निम्नलिखित तिथियों के अनुसार नामांकन कार्य सम्पन्न किया जायेगा।

क्र०सं०	कार्य	तिथि
01	अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि	30.01.2026 से 01.02.2026 तक
02	औपबंधिक मेघा सूची पर अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि	02.02.2026 से 03.02.2026 तक
03	प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि	03.02.2026
04	प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् अंतिम मेघा सूची प्रकाशित करने की तिथि	05.02.2026
05	अंतिम मेघा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि	05.02.2026 से 06.02.2026
06	नामांकन की निर्धारित तिथि तक प्रसारित अंतिम मेघा सूची के अभ्यर्थी द्वारा नामांकन नहीं लेने की स्थिति में रिक्त सीटों पर संस्थान में प्राप्त आवेदनों में से प्रतीक्षा सूची (Waiting List) के अभ्यर्थी का नामांकन लेकर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	07.02.2026
07	नामांकन के पश्चात् समिति के पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि	08.02.2026

नामांकन हेतु जमा करने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची

1. संस्थान द्वारा निर्गत आवेदन पत्र
2. BSEB द्वारा निर्गत Spot Instimation Letter की छायाप्रति
3. BSEB की वेबसाइट पर आवेदित Common Application form (CAF) आवेदन पत्र की कॉपी
4. BSEB द्वारा प्रदत्त Score Card.
5. मैट्रिक का अंक पत्र व प्रमाण पत्र (छायाप्रति)
6. इण्टरमीडिएट का अंक पत्र व प्रमाण पत्र (छायाप्रति)
7. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम से)
8. BC, EBC कोटि के अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो नामांकन के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत OBC-NCL (क्रिमीलेयर रहित) प्रमाण पत्र (बिहार राज्य के लिए) अवश्य लायेंगे। अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
9. निवास/आवास प्रमाण पत्र (मूल-प्रति एवं छायाप्रति)
10. EWS का प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2025-2026) (यदि लागू हो)
11. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (मूल-प्रति एवं छायाप्रति)
12. आधार कार्ड की छायाप्रति।

नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त वर्णित तिथियों एवं रिक्त के अनुसार आवेदन समर्पित कर औपबंधिक मेघा सूची में त्रुटियों के निराकरण करते हुए अंतिम चयनित मेघा सूची के अनुसार नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे।

30-01-26
विश्वासभाजन